विधान परिषद के द्वितीय सत्र-2025 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-19 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20/04/2025 जो जनपद-उन्नाव में कन्या विवाह हेतु शादी अनुदान दिलाये जाने के सम्बन्ध में आपको सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है?	जी हाँ। प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-04-2025 न होकर दिनांक 23-04-2025 है।
(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?	निदेशालय के पत्र संख्या-825/पि0व0क0/2025-26, दिनांक 21-07-2025 द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उन्नाव से प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अद्यतन सूचनाओं सहित आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उन्नाव के पत्र संख्या-77/पि0व0क0/2025-26 दिनांक 22-07-2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार आवेदक श्री भैयालाल शर्मा पुत्र श्री ललई शर्मा को उनकी पुत्री के विवाह हेतु अनुदान की धनराशि रू0 20,000.00 (रूपये बीस हजार मात्र) उनके बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा-शुक्लागंज में संचालित बैंक खाता संख्या-44360100009549 में दिनांक 24-06-2025 को अंतरित की जा चुकी है, जिसका यू0टी0आर0 नम्बर-RBI1762538153842 है।
(ग) क्या उक्त धनराशि लाभार्थियों के खाते में भेज दी गयी है?	जी हाँ।
(घ) क्या उक्त के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत करायेगें?	उपरोक्तानुसार।
(ङ) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न ही नही उठता।

नरेन्द्र कश्यप
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।